भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 170

20 जुलाई, 2023 को उत्तर के लिए

मलिन बस्तियों में नागरिक सुविधाओं हेतु निधियां

170. डॉ. राजश्री मल्लिक:

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार ने देश में मलिन बस्तियों में नागरिक सुविधाएं प्रदान करने और उक्त बस्तियों के विकास के लिए निधियां आबंटित की हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत नौ वर्षों के दौरान राज्य-वार, विशेषकर जगतसिंहपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कस्बों और शहरों में मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

<u>आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री</u>

(श्री कौशल किशोर)

(क) और (ख): 'भूमि' और 'कालोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, देश के स्लम क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं प्रदान करना और स्लम में विकास संबंधी कार्य करना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार अपने मिशनों जैसे - प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू), अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), स्वच्छ भारत मिशन - शहरी (एसबीएम-यू) आदि के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को सहायता प्रदान करती है।

पीएमएवाई-यू के तहत, स्लमवासियों सहित शहरी क्षेत्रों में सभी पात्र परिवारों/लाभार्थियों के लिए आवासों के निर्माण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। पिछले नौ वर्षों में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता के रूप में कुल 1.47 लाख करोड़ रू. जारी किए गए हैं।

एसबीएम-यू के तहत, स्लम सहित शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) घटक सहित आवश्यकता के आधार पर सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों (सीटी/पीटी) और व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (आईएचएचएल) के निर्माण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की जाती है। पिछले नौ वर्षों में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्र सरकार द्वारा कुल 14,937.15 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

अमृत योजना के तहत, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संपूर्ण मिशन अवधि में परियोजनाओं के लिए 35,990 करोड़ रू. की प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता सहित 77,640 करोड़ रू. की राज्य वार्षिक कार्य योजना (एसएएपी) को मंजूरी दी गई है। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जलापूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, वर्षा जल निकासी, हरित स्थान और पार्क और गैर-मोटरीकृत शहरी परिवहन हेतु अमृत परियोजनाओं के लिए 33,110.41 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता जारी की गई है। अमृत के तहत निधियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की जाती है न कि शहरों को। आगे शहरों को निधियां जारी करने के लिए राज्य उत्तरदायी हैं। पिछले नौ वर्षों में, केंद्र सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 39,479.44 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

मिशन अवधि के दौरान शहरों को कचरा मुक्त और जल सुरक्षित बनाने के लिए हाल ही में अमृत 2.0 और एसबीएम 2.0 का शुभारंभ किया गया है। जैसा कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, अमृत 2.0 के तहत, अब तक, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 1,39,688 करोड़ रू. (प्रचालन एवं अनुरक्षण सहित) की 6,755 परियोजनाओं के लिए राज्य जल कार्य योजनाओं (एसडब्ल्यूएपी) को मंजूरी दी गई है। एसबीएम 2.0 के तहत, मिशन आवंटन 33,993.60 करोड़ रुपये है, जिसके लिए 3,081.42 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

पीएमएवाई-यू, अमृत, एसबीएम-यू, अमृत 2.0 और एसबीएम 2.0 के तहत आवंटित निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण क्रमशः अनुलग्नक-I से V में दिया गया है।

(ग) और (घ): पीएमएवाई-यू, एसबीएम-यू और अमृत के अतिरिक्त, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्लम क्षेत्रों सहित सभी नागरिकों को किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को सशक्त करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत, स्लम निवासियों सहित सभी पात्र परिवारों को प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया जाता है।इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्लम सहित लोगों के आवासों के नजदीक मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र (एचडब्ल्यूसी) स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, केंद्र सरकार स्लम सहित सभी शहरी क्षेत्रों में अन्य योजनाओं के साथ-साथ सौभाग्य-प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) और उजाला योजना को क्रियान्वित कर रही है।

*****

20.07.2023 को उत्तर के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं0 170 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-।

जगतसिंहपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (ओडिशा) सहित पीएमएवाई-यू के तहत स्वीकृत और जारी केंद्रीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

(10.07.2023 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्वीकृत केंद्रीय सहायता (करोड़ रू. में)	जारी की गई केंद्रीय सहायता (करोड़ रू. में)
1	राज्य	आंध्र प्रदेश	32,499.33	20,045.70
2		बिहार	5,083.64	2,984.09
3		छत्तीसगढ़	4,810.98	3,605.68
4		गोवा	74.76	75.04
5		गुजरात	21,701.52	19,149.95
6		हरियाणा	2,921.64	1,573.47
7		हिमाचल प्रदेश	219.44	192.41
8		झारखंड	3,603.31	2,829.43
9		कर्नाटक	10,614.43	6,550.28
10		केरल	2,754.71	2,081.83
11		मध्य प्रदेश	15,823.08	14,327.09
12		महाराष्ट्र	26,109.21	17,780.51
13		ओडिशा	2,982.04	2,226.75
14		पंजाब	2,342.88	1,646.51
15		राजस्थान	5,437.01	4,140.22
16		तमिलनाडु	11,199.25	9,240.59
17		तेलंगाना	4,475.66	3,314.27
18		उत्तर प्रदेश	26,831.17	22,013.25
19		उत्तराखंड	1,183.36	810.03
20		पश्चिम बंगाल	10,977.86	6,730.61
उप-कुल (राज्य)			**1,91,645.28**	**1,41,317.72**
21	पूर्वोत्तर राज्य	अरुणाचल प्रदेश	182.38	146.33
22		असम	2,674.26	1,608.89
23		मणिपुर	841.39	447.12
24		मेघालय	72.35	29.75
25		मिजोरम	610.89	368.91
26		नागालैंड	505.53	339.05
27		सिक्किम	10.30	7.09
28		त्रिपुरा	1,437.56	1,183.95
उप-कुल (पूर्वोत्तर राज्य)			**6,334.66**	**4,131.09**
29	संघ राज्य क्षेत्र	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5.84	2.93
30		चंडीगढ़	28.78	28.78
31		दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	222.22	200.27
32		दिल्ली	692.53	692.53
33		जम्मू और कश्मीर	756.43	443.51
34		लद्दाख	30.22	22.21
35		लक्षद्वीप	-	-
36		पुदुचेरी	226.97	192.08
उप-कुल (संघ राज्य क्षेत्र)			**1,962.99**	**1,582.31**
कुल			**2.00 लाख करोड़**	**1.47 लाख करोड़**

नोट: पीएमएवाई-यू के तहत जगतसिंहपुर संसदीय क्षेत्र (ओडिशा) के लिए स्वीकृत **43.59** करोड़ रू. में से **33.50** करोड़ रू. जारी किए गए हैं।

20.07.2023 को उत्तर के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं0 170 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक -II

अमृत के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निधि आवंटन

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एसएएपी का आकार (करोड़ रू. में)	
		एसएएपी का स्वीकृत आकार	प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	10.82	10.82
2	आंध्र प्रदेश	2,890.17	1,056.62
3	अरुणाचल प्रदेश	140.25	126.22
4	असम	657.14	591.42
5	बिहार	2,469.77	1,164.80
6	चंडीगढ़	95.07	54.09
7	छतीसगढ	2,192.76	1,009.74
8	दादरा और नगर हवेली	10.82	10.82
	दमन और दीव	18.03	18.03
9	दिल्ली	802.31	802.31
10	गोवा	209.18	104.58
11	गुजरात	4,884.42	2,069.96
12	हरियाणा	2,565.74	764.51
13	हिमाचल प्रदेश	304.52	274.07
14	जम्मू और कश्मीर	513.13	500.62
15	लद्दाख	79.92	79.19
16	झारखंड	1,245.74	566.17
17	कर्नाटक	4,952.87	2,318.79
18	केरल	2,359.38	1,161.20
19	लक्षद्वीप	3.61	3.61
20	मध्य प्रदेश	6,200.67	2,592.86
21	महाराष्ट्र	7,759.32	3,534.08
22	मणिपुर	180.31	162.28
23	मेघालय	80.14	72.12
24	मिजोरम	140.25	126.22
25	नागालैंड	120.22	108.19
26	ओडिशा	1,598.96	796.97
27	पुदुचेरी	64.91	64.91
28	पंजाब	2,766.62	1,204.47
29	राजस्थान	3,223.94	1,541.95
30	सिक्किम	40.06	36.06
31	तमिलनाडु	11,194.78	4,756.58
32	तेलंगाना	1,666.26	832.60
33	त्रिपुरा	148.25	133.43
34	उत्तर प्रदेश	11,421.67	4,922.46
35	उत्तराखंड	593.02	533.72
36	पश्चिम बंगाल	4,035.00	1,929.32
कुल		**77,640.02**	**36,035.79**

नोट: *पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों की प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता को 100% तक संशोधित किया गया है।*

20.07.2023 को उत्तर के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं0 170 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक -III

एसबीएम-यू के तहत मिशन आवंटन (2014-2021)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मिशन आवंटन (करोड़ रु. में)						
		फ्लोटिंग	आईएचएचएल	सीटी	एसडब्ल्यूएम	आईईसी	सीबी	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह		0.43	0.10	2.50	0.39	0.10	3.52
2	आंध्र प्रदेश		184.08	27.95	308.54	40.61	10.15	571.33
3	अरुणाचल प्रदेश		13.40	0.35	7.25	12.22	3.06	36.28
4	असम		81.95	2.31	76.76	66.62	16.66	244.30
5	बिहार		191.90	45.27	259.96	47.64	11.91	556.68
6	चंडीगढ़		2.45	0.53	22.24	2.24	0.56	28.02
7	छत्तीसगढ		140.76	34.40	131.53	40.93	10.23	357.85
8	दादरा और नगर हवेली		1.20	0.17	2.27	0.39	0.10	4.13
9	दमन और दीव		0.29	0.06	1.57	0.53	0.13	2.58
10	दिल्ली		50.16	5.15	263.68	24.61	6.15	349.75
11	गोवा		3.21	0.48	9.29	3.29	0.82	17.09
12	गुजरात		162.56	32.22	536.22	82.52	20.63	834.15
13	हरियाणा		56.67	10.61	181.80	30.40	7.60	287.08
14	हिमाचल प्रदेश		14.02	0.90	15.22	11.05	2.76	43.95
15	जम्मू और कश्मीर		71.84	2.58	47.59	14.74	3.68	140.44
16	लद्दाख		30.789	1.11	20.40	6.32	1.58	60.19
17	झारखंड		92.41	21.08	122.68	18.03	4.51	258.71
18	कर्नाटक		158.35	44.31	512.52	84.62	21.16	820.96
19	केरल	408.00	70.62	1.53	121.35	21.19	5.30	219.99
20	मध्य प्रदेश		292.79	65.42	434.01	102.26	25.56	920.04
21	महाराष्ट्र		359.90	57.57	1,081.84	142.79	35.70	1,677.80
22	मणिपुर		47.46	0.28	14.72	16.51	4.13	83.10
23	मेघालय		5.82	0.16	8.69	7.56	1.89	24.12
24	मिजोरम		18.08	0.08	13.22	14.11	3.53	49.02
25	नागालैंड		26.59	0.19	11.69	12.02	3.00	53.49
26	ओडिशा		161.33	33.82	138.05	31.06	7.76	372.02
27	पुदुचेरी		6.78	1.57	17.30	2.63	0.66	28.94
28	पंजाब		78.66	8.45	220.97	44.75	11.19	364.02
29	राजस्थान		225.01	35.73	363.46	65.01	16.25	705.46
30	सिक्किम		2.63	0.06	3.42	4.33	1.08	11.52
31	तमिलनाडु		184.02	93.52	689.87	186.47	46.62	1,200.50
32	तेलंगाना		133.31	20.24	223.43	29.41	7.35	413.74
33	त्रिपुरा		68.65	0.12	15.51	12.87	3.22	100.37
34	उत्तर प्रदेश		473.28	80.03	940.91	197.41	49.35	1,740.98
35	उत्तराखंड		30.30	1.59	57.57	18.03	4.51	112.00
36	पश्चिम बंगाल		315.33	24.82	487.79	66.72	16.68	911.34
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		408.00	3,757.03	654.76	7,365.82	1,462.28	365.57	14,013.46
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय						365.57	243.70	609.27
कुल						1,827.85	609.27	14,622.73

20.07.2023 को उत्तर के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं0 170 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक -IV

अमृत 2.0 के तहत निधि आवंटन

(करोड़ रू. में)

क्र. सं०.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संशोधित परियोजना निधि आवंटन (पूर्णांकन के बाद)	संशोधित ए एंड ओई आवंटन
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	36	1.16
2	आंध्र प्रदेश	2,948	95.81
3	अरुणाचल प्रदेश	226	7.35
4	असम	775	25.20
5	बिहार	2,628	85.41
6	चंडीगढ़	170	5.52
7	छत्तीसगढ	1,303	42.33
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	30	0.99
9	दिल्ली	2,885	93.73
10	गोवा	85	2.76
11	गुजरात	4,512	146.61
12	हरियाणा	1,496	48.61
13	हिमाचल प्रदेश	256	8.32
14	जम्मू और कश्मीर	867	28.17
15	झारखंड	1,183	38.43
16	कर्नाटक	4,628	150.37
17	केरल	1,374	44.65
18	लद्दाख	128	4.17
19	लक्षद्वीप	2	0.07
20	मध्य प्रदेश	4,065	132.07
21	महाराष्ट्र	9,310	302.51
22	मणिपुर	170	5.52
23	मेघालय	111	3.62
24	मिजोरम	143	4.64
25	नागालैंड	176	5.73
26	ओडिशा	1,373	44.61
27	पुदुचेरी	150	4.89
28	पंजाब	1,836	59.67
29	राजस्थान	3,552	115.41
30	सिक्किम	40	1.30
31	तमिलनाडु	4,942	160.56
32	तेलंगाना	2,789	90.63
33	त्रिपुरा	157	5.09
34	उत्तर प्रदेश	8,161	265.19
35	उत्तराखंड	585	19.02
36	पश्चिम बंगाल	3,658	118.88
	कुल योग	**66,750**	**2,169.00**

20.07.2023 को उत्तर के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं0 170 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक -V

एसबीएम-यू 2.0 के तहत मिशन आवंटन (2021-2026)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मिशन आवंटन (करोड़ रू. में)						
		फ्लोटिंग	शौचालय निर्माण	यूडब्ल्यूएम	एसडब्ल्यूएम	आईईसी	सीबी	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	305.00	0.50	0.00	5.50	1.70	0.90	**8.60**
2	आंध्र प्रदेश		47.10	694.10	458.10	142.40	71.60	**1413.30**
3	अरुणाचल प्रदेश		1.00	79.30	33.20	10.30	5.20	**129.00**
4	असम		14.20	315.70	118.30	36.80	18.50	**503.50**
5	बिहार		37.90	666.50	341.10	106.00	53.30	**1204.80**
6	चंडीगढ़		3.30	0.00	28.50	8.90	4.50	**45.20**
7	छत्तीसगढ		19.10	414.60	200.10	62.20	31.30	**727.30**
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव		1.10	23.10	4.80	1.50	0.70	**31.20**
9	दिल्ली		10.00	0.00	1152.60	15.00	15.00	**1192.60**
10	गोवा		2.90	56.90	12.30	3.80	1.90	**77.80**
11	गुजरात		83.00	806.90	701.40	218.00	109.60	**1918.90**
12	हरियाणा		28.50	284.40	226.90	70.50	35.40	**645.70**
13	हिमाचल प्रदेश		2.20	101.00	36.50	11.30	5.70	**156.70**
14	जम्मू और कश्मीर		10.30	226.40	131.70	40.90	20.60	**429.90**
15	झारखंड		25.60	236.80	174.90	54.40	27.30	**519.00**
16	कर्नाटक		76.10	1,128.60	709.30	220.50	110.80	**2,245.30**
17	केरल		51.40	521.70	205.80	64.00	32.20	**875.10**
18	लद्दाख		0.70	34.10	19.00	5.90	3.00	**62.70**
19	मध्य प्रदेश		64.70	1,229.50	617.50	192.00	96.50	**2,200.20**
20	महाराष्ट्र		163.80	1,484.80	1,438.10	447.10	224.70	**3,758.50**
21	मणिपुर		2.50	58.70	23.90	7.40	3.70	**96.20**
22	मेघालय		1.90	40.80	16.80	5.20	2.60	**67.30**
23	मिजोरम		1.80	48.10	22.20	6.90	3.50	**82.50**
24	नागालैंड		1.80	60.30	19.00	5.90	3.00	**90.00**
25	ओडिशा		22.60	491.00	209.80	65.20	32.80	**821.40**
26	पुदुचेरी		2.70	25.50	20.40	6.30	3.20	**58.10**
27	पंजाब		33.50	589.00	294.20	91.50	46.00	**1,054.20**
28	राजस्थान		54.90	916.10	541.80	168.40	84.60	**1,765.80**
29	सिक्किम		0.50	9.80	6.20	1.90	1.00	**19.40**
30	तमिलनाडु		112.50	1,999.70	807.40	251.00	126.10	**3,296.70**
31	तेलंगाना		43.90	463.10	381.90	118.70	59.70	**1,067.30**
32	त्रिपुरा		3.10	48.40	23.00	7.20	3.60	**85.30**
33	उत्तर प्रदेश		143.40	2,117.20	1235.90	384.20	193.10	**4,073.80**
34	उत्तराखंड		9.80	203.00	89.00	27.70	13.90	**343.40**
35	पश्चिम बंगाल		93.80	507.90	577.70	179.60	90.30	**1449.30**
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		**305.00**	**1,172.10**	**15,883.00**	**10,884.80**	**3040.30**	**1535.80**	**32,821.00**
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**590.20**	**582.40**	**1,172.60**
कुल		**305.00**	**1,172.10**	**15,883.00**	**10,884.80**	**3,630.50**	**2,118.20**	**33,993.60**